प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
लखनऊ ।

2- कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ ।

3- निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ ।

4- कुलपति,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 13 मार्च, 2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-48/2017/1665/71-2-17-18/2012, दिनांक 13 जून, 2017 एवं शासनादेश संख्या-60/2017/3063/71-2-17-18/2012, दिनांक 31 अगस्त, 2017, शासनादेश संख्या-70/2017/ 3748/71-2-17-18/2012, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017, शासनादेश संख्या-98/2017/3250/71-2-17-18/2012 दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 तथा शासनादेश संख्या-15/2018/430/71-2-18-18/2012 दिनांक 30 जनवरी, 2018 के क्रम में यह कहने का निदेश हुआ है कि असाध्य रोगों से पीडित मरीजों की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुपूरक सहित प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित संस्थानों/विश्वविद्यालय को उनके सम्मुख अंकित कुल धनराशि रू0 12,50,00,000/- (रूपया बारह करोड़ पचास लाख मात्र) स्वीकृत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	मे0का0/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम	धनराशि (लाख में)
1	जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।	20.00
2	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।	20.00
3	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।	20.00
4	राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।	18.00
5	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ ।	100.00
6	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।	50.00
7	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ ।	722.00
8	हृदय रोग संस्थान, कानपुर।	300.00
	योग-	**1250.00**

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु नियमावली-2013 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- संस्थान/विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे एवं किसी एक वित्तीय वर्ष की लम्बित धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।

5- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- उक्त मद में अगली किस्त तभी निर्गत की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

7- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- धनराशि को कोषागार से मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

9- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा,शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/597/दस-2018, दिनांक 13 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-46/2018/633(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, हृदय रोग संस्थान/जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
4. प्राधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर/मेरठ/गोरखपुर।
5. संबंधित कोषाधिकारी, कानपुर/मेरठ/गोरखपुर/इटावा/लखनऊ।
6. संबंधित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
7. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ (आय-व्ययक)-2
8. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
9. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।